झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध) 17/2021– 478

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.05.2022

विषयः– **विद्यालयों में बच्चों को दिये जा रहे मध्याह्न भोजन के नमूनों की जाँच में उनमें पोषक तत्वों का अभाव पाये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार–पत्र ***"दैनिक जागरण"*** में दिनांक–20.04.2022 को राज्य के तीन जिलों राँची, खूंटी एवं हजारीबाग के कई विद्यालयों में बच्चों को दिये जा रहे मध्याह्न भोजन के नमूनों की जाँच में उनमें पोषक तत्वों का अभाव पाये जाने से सम्बन्धित समाचार–पत्र प्रकाशित हुई है।

अतः उक्त मामले में प्रकाशित समाचार–पत्र के कतरन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राज्य के विद्यालयों में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx127

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

2

दैनिक जागरण
दिनांक :- 20/4/2022

put up
25/4

330
25.04.22

रांची, हजारीबाग और खूंटी में मानकों पर खरा नहीं है मध्याह्न भोजन

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य के तीन जिलों के कई स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा मध्याह्न भोजन मानकों पर खरा नहीं है। इन जिलों में रांची, हजारीबाग एवं खूंटी शामिल हैं। इन स्कूलों से लिए गए भोजन के नमूनों की जांच में उसमें पोषक तत्व की कमी पाई गई है। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी ने इन जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही हिदायत दी है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

बताते चलें कि राज्य के इन तीन जिलों में बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए लगभग 60 स्कूलों से लिए गए नमूने रांची के तुपुदाना स्थित लैब को भेजे गए थे। नमूनों की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि भोजन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। निदेशक ने अपने पत्र में लिखा है कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के साथ-साथ प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि मानक के अनुरूप बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले। उन्होंने संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित मानकों की जानकारी दिए जाने का भी निर्देश दिया है।

इन स्कूलों में मानक के अनुरूप नहीं मिला मध्याह्न भोजन

रांची : राजकीय उच्च विद्यालय हटिया, राजकीय मध्य विद्यालय वीएमपी, डोरंडा, राजकीयकृत इस्मालिया बालक मध्य विद्यालय डोरंडा, राजकीय प्राथमिक हरिजन बालक डोरंडा।

हजारीबाग : कार्मेल बालिका उच्च विद्यालयय, राजकीय प्राथमिक (कन्या) विद्यालय लाखे सदर, मध्य विद्यालय सिलवार खुर्द, हेमिल्टन प्राथमिक विद्यालय रवींद्रपथ, कन्या मध्य विद्यालय कोर्रा, राजकीय मध्य विद्यालय सदर।

खूंटी : प्राथमिक विद्यालय कदमा, राजकीय मध्य विद्यालय फुदी, प्राथमिक विद्यालय जमुआदाग, राजकीय मध्य सह उच्च विद्यालय अनिगड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगडु।

हिन्दुस्तान

दिनांक :- 20/4/2022

put up

327
25.04.22

बच्चों को मानक के अनुरूप नहीं मिल रहा मिड-डे-मील

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखड के स्कूली बच्चों को मानक के अनुरूप मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। इसका खुलासा रांची, खूंटी और हजारीबाग के कई स्कूलों में मिल-डे-मील के सैंपलों की जांच में हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों को इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है।

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने फरवरी में स्कूल खुलने के बाद 17 फरवरी को खूंटी में, 18 फरवरी को हजारीबाग में 23 मार्च को रांची के स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करायी थी। कई स्कूलों से मध्याह्न भोजन के सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल की लैब में जांच करायी गई, जिसमें खूंटी में पांच, हजारीबाग में सात और रांची में छह स्कूलों में मानक के अनुरूप मिड डे मील नहीं पाया गया। इन सभी स्कूलों में सब्जी की मात्रा कम मिली, जिसकी वजह से ऊर्जा निर्धारित मानक से कम पाया गया।

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा है कि यह मामला गंभीर है। स्कूल प्रबंधन समिति और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के साथ-साथ प्रखंड व जिला स्तरीय पदाधिकारियों का भी दायित्व है कि मानक के अनुरूप बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। किरण कुमारी पासी ने जिलों को निर्देश दिया कि इसकी अविलंब जांच कराकर यह जानकारी ली जाए कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई।

इन स्कूलों की हुई जांच

खूंटी : पाथमिक विद्यालय कदमा, राजकीय मध्य विद्यालय फुदी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमुआदाग, राजकीय मध्य सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अनगडा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगडू

हजारीबाग : कार्मेल बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग, राजकीय प्राथमिक (कन्या) लाखे सदर, मध्य विद्यालय सिलवार खुर्द, हेमिल्टन प्राथमिक विद्यालय रवींद्र पथ, कौन्व कन्या मध्य विद्यालय कोर्रा; राजकीय मध्य विद्यलाय आरिया सदर और राजकीय बालक मध्य विद्यालय कोर्रा

रांची : राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय हटिया, राजकीय मध्य विद्यालय बीएमपी डोरंडा, राजकीयकृत इस्माइलिया बालक विद्यालय, मध्य विद्यालय डोरडा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बालक डोरंडा